बनास डेयरी, सहकारी रूप से संचालित केंद्रीय ऐनेरोबिक डायजेस्टर मॉडल, बनासकांठा, गुजरात

उद्यमी द्वारा संचालित केंद्रीय ऐनेरोबिक डायजेस्टर मॉडल, उमरेथ, आनन्द, गुजरात

राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के तत्वाधान में गुजरात सहकारी के नेतृत्व का समर्थित मॉडल, जकारीयापुर, आनन्द, गुजरात

अधिक जानकारी के लिए, https://sbm.gov.in/gbdw20/ पर जाएं।

पायलट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत 19वूू मॉडल वॉश ग्रामों का चयन
(देहरादून, उत्तराखण्ड)

गोबर-धन

ग्रामीण भारत में मवेशियों के गोबर तथा अन्य जैविक कचरे के प्रभावी प्रबंधन के लिए जन आंदोलन

1. परिचय

गोबर-धन योजना स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण–2 के अंतर्गत प्राथमिकता से चलाया जा रहा राष्ट्रीय कार्यक्रम है। गोबर–धन का लक्ष्य गांवों को उनके मवेशियों के गोबर और जैविक कचरे के प्रभावी प्रबंधन में सहायता देना है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग "नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, राज्य सरकारों, सरकारी और निजी क्षेत्र के संस्थानों और ग्राम समुदायों के साथ काम कर रहा है ताकि इसे एक 'जन आंदोलन' बनाकर गोबर–धन के लिए सामुदायिक रूप से किए जा रहे प्रयासों के परिणाम को हासिल किया जा सके। इससे सामुदायिक जागरूकता एवं स्वामित्व को बढ़ावा मिलने और गांवों को मवेशियों, कृषि अवशेष तथा अन्य जैविक कचरे के प्रबंधन में सहायता मिलने की उम्मीद है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग प्रत्येक जिले को तकनीकी सहायता और 50 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता देता है ताकि मवेशियों के गोबर और जैविक कचरे का सुरक्षित प्रबंधन हो, गांव वाले इस अपशिष्ट से धन सृजित

2. गोबर-धन के उद्देश्य

गांव को स्वच्छ बनाने में गांव वालों को उनके मवेशियों के गोबर और जैविक कचरे के सुरक्षित प्रबंधन में सहायता देना।

शोधन प्रणालियों का उपयोग करके समुदायों को मवेशियों के गोबर और जैविक कचरे को धन में बदलने में मदद देना।

ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग हेतु जैविक कचरे विशेषकर मवेशियों के गोबर को बायोगैस और जैविक खाद में बदलना।

ग्रामीण क्षेत्रों में कचरे के प्रभावी निपटान के जरिए स्वच्छ वातावरण को बढ़ावा देना और रोगाणु–जनित बीमारियों को कम करना।

गोबर–धन इकाइयों की स्थापना, प्रचालन और प्रबंधन में उद्यमियों, स्वयं सहायता समूह और युवा समूहों को शामिल कर ग्रामीण रोजगार और आय सृजन अवसरों को बढ़ावा देना।

3. गोबर-धन के लाभ

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए गोबरधन केंद्र बिंदु है।

कचरा प्रबंधन
गांवों के प्रमुख ठोस कचरे अर्थात मवेशियों के गोबर के प्रबंधन में मदद करना और स्वच्छ वातावरण को बढ़ावा देना।

स्वास्थ्य रक्षा
काफी हद तक रोगाणु–जनित बीमारियां कम होंगी और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलेगा।

रोजगार के अवसर बढ़ाना
स्वयं सहायता समूहों और किसान समूहों के लिए रोजगार और आय सृजन अवसरों को बढ़ावा देना।

जैविक खाद का सृजन
जैविक खाद के सृजन में सहायता करना जिससे कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।

बचत
घरेलू आय और बचत को बढ़ावा देना क्योंकि ईंधन के रूप में बायोगैस के उपयोग से एलपीजी लागत में कटौती होगी।

4. गोबर-धन कार्यान्वयन के मार्गदर्शक सिद्धांत

- गांवों के मवेशियों के गोबर के निपटान के लिए गोबरधन को जन आंदोलन की पहल के रूप में कार्यान्वित करना।
- राज्य, जिलों और ब्लॉक प्रशासन द्वारा ग्रामीण आबादी के मध्य मवेशियों के गोबर और जैविक कचरे के सुरक्षित प्रबंधन हेतु आकर्षक व्यापार मॉडल को लोकप्रिय बनाना।
- स्थानीय स्तर पर महन आईईसी के माध्यम से गोबर–धन संबंधी व्यापार मामले और सामुदायिक सामूहिक कार्य को बढ़ावा देना।
- जिन गांवों में मवेशियों की संख्या अधिक है, उन्हें प्राथमिकता देना।
- 50 लाख रुपए के वित्तीय प्रावधान के उपयोग में जिले के कई गांवों को सक्षम बनाना।
- ऐसी अवसंरचना का निर्माण करना जिसका स्वामित्व, प्रचालन एवं रखरखाव समुदाय स्वयं करें।

खुले में जलाना एक अच्छा व्यवहार क्यों नहीं है?

कूड़ा जलाने के खतरे

कण प्रदूषण (पार्टिकल प्रदूषण): यह अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियों को बढ़ा सकता है और यह दिल के दौरे का भी कारण बन सकता है।

कार्बन मोनोऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक: यह सिरदर्द, थकान, मतली और उल्टी का कारण बनता है। वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (वीओसी) से लीवर, किडनी और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को नुकसान होता है।

डायॉक्सिन: यह अत्यधिक विषैला होता है और इम्यून सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा यह प्रजनन और विकास संबंधी समस्याओं के साथ–साथ कैंसर का कारण भी बन सकता है।

राख: इसमें पारा, लेड कोमियम और आर्सेनिक जैसी जहरीली धातुएं होती हैं। बारिश के पानी के साथ मिलकर यह पीने के पानी के स्रोतों के साथ–साथ अन्य सतही जल निकायों को दूषित कर खाद्य सामग्री और पीने के पानी को दूषित करता है।

आईईसी और क्षमता निर्माण

करने योग्य

- भंडारण के लिए जूट बैग, पेपर बैग, कपड़े के बैग, बांस के जार का प्रयोग करें
- अपशिष्ट प्लास्टिक का पुनःकरण
- सुनिश्चित करें कि निपटान से पहले कोई भी प्लास्टिक सामग्री जैसे बोतल, खाद्य कंटेनर या शहद, खाद्य अवशेषों से मुक्त होने चाहिए
- कई प्लास्टिक की थैलियों को एक ही थैली में भर दें ताकि यह उड़कर गंदगी न फैला सके

न करने योग्य

- केवल एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक का प्रयोग
- प्लास्टिक अपशिष्ट को खुले में सार्वजनिक स्थानों पर फेंकना
- प्लास्टिक कचरे को खुले में जलाए
- रीसाइक्लिंग के लिए नॉन–रीसाइक्लिंग प्लास्टिक बेचें
- विघटन (टॉक्सिक) प्लास्टिक सामग्री जैसे पेंट के डिब्बे, कीटनाशक कंटेनर आदि को रीसाइकल करना।
- प्लास्टिक कचरे के साथ ई–कचरा, कांच, धातु आदि मिलाना

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन चक्र

पायलट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत 19वूू मॉडल वॉश ग्रामों का चयन
देहरादून, उत्तराखण्ड)

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एक बार इस्तेमाल किए जाने वाले प्लास्टिक के उपयोग को रोकने और प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रभावी प्रबंधन के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ग्राम पंचायतों (जीपी) का समर्थन करता है। 4–आर के सिद्धांत के अनुसार, पहले तीन आर– रिफ्यूज (प्लास्टिक का इस्तेमाल न करें), रिडयूस (कम करें), रीयूज (पुनः उपयोग), परिवारों की ज़िम्मेदारी है। चौथे आर–रीसायकल के लिए, रीसायकल योग्य प्लास्टिक को आगे रीसाइक्लिंग के लिए स्क्रैप डीलरों को सौंप दिया जाएगा और नान–रिसायकल अपशिष्ट को पिघलाकर सीमेंट उद्योग, सड़क निर्माण या अन्य कोई पुनः प्राप्ति विधियों में इस्तेमाल किया जा सकता है।

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए योजना

प्रत्येक गांव एसएलडब्ल्यूएम के कार्यान्वयन के लिए सरपंच/पंचायत सचिव के नेतृत्व में वीडब्ल्यूएससी द्वारा समर्थित एक ग्राम कार्य योजना तैयार करेगा। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इस योजना का एक अलग घटक होगा। यह ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) में शामिल किया जाएगा।

पीडब्ल्यूएम योजना के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर की जाने वाली क्रियाएं

अपशिष्ट का आकलन: घरेलू स्तर, संस्थान, स्वास्थ्य देखभाल केंद्र, कमर्शियल शेड और बाजार आदि स्थानों से उत्पन्न अपशिष्ट (के प्रकार और मात्रा) का आंकलन

ठोस अपशिष्ट कचरे के हर एक घर से संग्रह के लिए व्यक्तियों की पहचान करना

एकत्रित प्लास्टिक अपशिष्ट के भंडारण के लिए गांव में एक सार्वजनिक शेड की पहचान

हर घर, कमर्शियल केंद्रों, संस्थानों आदि में अपशिष्ट का पृथक्करण

आईईसी गतिविधियां: प्लास्टिक कचरे के हानिकारक प्रभाव और इसमें शामिल हितधारकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आईईसी गतिविधियां

प्लास्टिक स्क्रैप डीलरों/रीसाइकल करने वालों की पहचान

प्लास्टिक रीसाइक्लिंग के लिए सभी अग्रानुबंधन लिंकेज स्थापित करना

जीपी स्तर पर प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कदम

चरण 1 स्रोत पर पृथक्करण
घरों, संस्थानों और कमर्शियल केंद्रों से उत्पन्न प्लास्टिक अपशिष्ट को अपशिष्ट संग्रहकर्ता को सौंपने से पहले उसको अलग करना चाहिए।

चरण 2 संग्रह करना
घरों, संस्थानों और व्यावसायिक केंद्रों से प्लास्टिक अपशिष्ट का हर घर से संग्रह होगा। कचरा संग्रह अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा किया जा सकता है।

चरण 3 ग्राम स्तरीय शेड की स्थापना
यदि गांव में वायो डिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को एक जगह एकत्रित करने के लिए कोई शेड नहीं है तो एक सार्वजनिक शेड का निर्माण गांव में किया जाएगा।

चरण–4 प्लास्टिक कचरे का द्वितीयक पृथक्करण और भंडारण
घरों, संस्थानों, व्यवसायों और सार्वजनिक स्थानों से एकत्र किए गए प्लास्टिक कचरे को आगे के उपचार और निपटान के लिए विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक में दोबारा अलग किया जा सकता है।

चरण–5 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई तक पहुंचाने के लिए परिवहन की सुविधा
गांव में शेड से प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाई (पीडब्ल्यूएमयू) तक एकत्रित प्लास्टिक अपशिष्ट का समय पर परिवहन सुनिश्चित करने के लिए ग्राम पंचायत, जिला/ ब्लॉक अधिकारियों के साथ समन्वय करेगी।

रीसाइक्लिंग प्लास्टिक

प्लास्टिक अपशिष्ट से उपयोगी उत्पाद बनाने के लिए, प्लास्टिक रीसाइक्लिंग वर्तमान में उपलब्ध सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है।

वित्त पोषण प्रावधान

ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के अंतर्गत प्लास्टिक अपशिष्ट के लिए एक व्यापक योजना का खाका तैयार किया जाएगा। एसबीएम (जी) के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) के लिए उपलब्ध वित्तीय सहायता का उल्लेख नीचे किया गया है।

जनसंख्या	वित्तीय प्रावधान
5000 तक की आबादी	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन: प्रति व्यक्ति 60 रूपये तक
5000 से अधिक आबादी	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन: प्रति व्यक्ति 45 रूपये तक
नोट: इस राशि का 30 प्रतिशत ग्राम पंचायतों द्वारा अपने 15वें वित्त आयोग अनुदान से वहन किया जाएगा। प्रत्येक गांव ठोस अपशिष्ट और फेकल प्रबंधन के लिए, अपनी आवश्यकताओं के आधार पर न्यूनतम 1 लाख का उपयोग कर सकता है।	
प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई (प्रत्येक ब्लॉक/जिले में एक)	**प्रति यूनिट 16 लाख रूपये तक**

ग्राम पंचायतें एसबीएम–2 के अलावा अन्य स्रोतों जैसे कि 15वें वित्त आयोग, एमपीएलएडी/एमएलएएलएडी/सीएसआर निधियों, या मनरेगा या राज्य या केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण के माध्यम से अतिरिक्त निधि प्राप्त कर सकती है।

घरों से अपशिष्ट संग्रह कर्मचारियों का भुगतान 15वें वित्त आयोग जबकि अपशिष्ट एकत्रित करने के लिए शेड का निर्माण एसबीएमजी, 15वें वित्त आयोग और एसएफसी से प्राप्त किया जा सकता है।